डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020 जयपुर, दिनांक : 28.07.2020

गेहूं आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2020
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III, दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों को 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से पात्रतानुसार **माह सितम्बर, 2020** हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों को 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1.00 रूपये प्रतिकिग्रा.
द्वितीय	PHH (Others)	2.00 रूपये प्रतिकिग्रा.

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 22.07.2020 की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकानों को गेहूं की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी–अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी) के राशनकार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी।

7– जिलेवार खाद्यान्न (गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूं का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर –

(अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर(रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाए।

(ब) गेहूं का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) में गेहूं के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

12– **माह सितम्बर, 2020** के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

28/7/2020

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020 जयपुर, दिनांक : 28.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
7. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **आवंटित गेहूं की मात्रा का निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर नियति वैधता अवधि में उठाव सुनिश्चित करावें।**
10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

परिशिष्ट-1

Wheat Allotment Sep-2020(NFSA)

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		1 Rs per K.G			2 Rs per K.G	
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	621.730	1106.152	448.049	6231.482	8407.413
2	Alwar	679.579	1638.357	570.194	9794.156	12682.286
3	Banswara	1553.684	2879.797	877.258	3120.189	8430.928
4	Baran	1542.158	960.778	216.775	2467.725	5187.436
5	Barmer	802.411	2844.622	445.888	5671.292	9764.213
6	Bharatpur	507.495	1612.960	383.621	5844.728	8348.804
7	Bhilwara	852.524	1929.330	638.752	4608.982	8029.588
8	Bikaner	388.936	2237.903	498.098	3327.312	6452.249
9	Bundi	435.935	816.178	243.741	2532.537	4028.391
10	Chittaurgarh	963.212	1089.060	693.032	2382.588	5127.892
11	Churu	777.303	2117.022	447.407	3693.196	7034.928
12	Dausa	345.262	1258.277	187.423	4137.560	5928.522
13	Dhaulpur	296.160	855.685	177.701	3232.835	4562.381
14	Dungarpur	1094.008	2944.456	404.008	2330.618	6773.090
15	Ganganagar	403.546	1513.511	173.310	3868.460	5958.827
16	Hanumangarh	471.968	1166.481	203.341	3335.325	5177.115
17	Jaipur	450.114	1879.164	603.197	13090.947	16023.422
18	Jaisalmer	218.872	570.705	145.029	1270.968	2205.574
19	Jalor	735.879	1697.169	365.492	3363.750	6162.290
20	Jhalawar	546.109	1318.717	337.300	3673.211	5875.337
21	Jhunjhunun	312.868	620.023	236.567	5610.891	6780.349
22	Jodhpur	292.088	2054.226	233.345	8064.905	10644.564
23	Karauli	562.831	1732.758	325.638	2428.697	5049.924
24	Kota	323.701	1299.671	193.864	3264.452	5081.688
25	Nagaur	576.749	1610.574	436.414	9647.028	12270.765
26	Pali	641.966	1537.487	396.682	4239.584	6815.719
27	Pratapgarh	482.956	1304.380	318.422	1690.746	3796.504
28	Rajsamand	660.094	1167.366	313.878	2558.908	4700.246
29	Sawai Madhopur	518.012	969.178	353.847	2501.359	4342.396
30	Sikar	294.021	930.488	206.117	7645.412	9076.038
31	Sirohi	357.485	732.281	230.446	2737.464	4057.676
32	Tonk	580.992	1037.106	435.163	3388.064	5441.325
33	Udaipur	1808.001	4475.309	948.703	5179.400	12411.413
Total		**21098.649**	**51907.171**	**12688.702**	**146934.771**	**232629.293**

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त (प्रथम)